सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 75/14 **निर्णय दिनांकः— 13—08—2019**

1. दिवानचन्द पुत्र होवनदास जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 550 गांधी बस्ती पुरानी आबादी श्रीगंगागनर।
2. रमेश चन्द
3. राधेश्याम

पिसरान लक्ष्माणदास जाति अरोड़ा निवासीगण टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. शकन्तलादेवी
5. शीलादेवी
6. वीनादेवी
7. किरणदेव
8. रूपचन्द
9. जयकुमार
10. श्यामसुन्दर

पुत्र/पुत्रियॉ लक्ष्मणदास जाति अरोड़ा निवासीगण टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

11. राजकुमारी पत्नि गोपालदास जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील श्रीगंगानगर।

—अपीलांटस्

—बनाम—

1. सुरमाराम पुत्र हेमाराम जाति भाट निवासी मानकसर चौक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी कड़वासरा निवासी मानकसर चौक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. आकाश पुत्र रामवतार जाति नोई निवासी मानकसर चौक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. हरजीराम पुत्र बगताराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर चौक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्याः 76/14

1. सुरमाराम पुत्र हेमाराम जाति भाट निवासी मानकसर चौक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. धर्मपाल पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. ओमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी कड़वासरा निवासी मानकसर चौक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. आकाश पुत्र रामवतार जाति नोई निवासी मानकसर चौक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. हरजीराम पुत्र बगताराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर चौक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांटस्

—बनाम—

1. दिवानचन्द पुत्र होवनदास जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 550 गांधी बस्ती पुरानी आबादी श्रीगंगागनर।
2. रमेश चन्द
3. राधेश्याम

पिसरान लक्ष्माणदास जाति अरोड़ा निवासीगण टिब्बी जिला हनुमानगढ़। जरिये मु.आम दीवानचन्द

4. शकन्तलादेवी
5. शीलादेवी
6. वीनादेवी
7. किरणदेव
8. रूपचन्द
9. जयकुमार
10. श्यामसुन्दर

पुत्र/पुत्रियॉ लक्ष्मणदास जाति अरोड़ा निवासीगण टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मु. आम दीवानचन्द

11. राजकुमारी पत्नि गोपालदास जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील श्रीगंगानगर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 10—06—2010
सहायक कलेक्टर, सूरतगढ़

उपस्थितः—

1. श्री दाऊलाल हर्ष,
   (अभि. अपीलांट अपील संख्या 75/14 व अभि. रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 76/14)
2. श्री महावीर शर्मा,
   (अभि. अपीलांट अपील संख्या 76/14 व अभि. रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 75/14)
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें सहायक कलेक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 10—06—2010 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील संख्या 76/14 में बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही मानकसर के खाता संख्या 34 खसरा नम्बर 248 में 0.696 हेक्टर भूमि पर तहसीलदार, सूरतगढ़ को रिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि किस जगर तरमीम है तथा अपीलांट्स मौके पर कहॉ बैठे है व रकबा वक्फबोर्ड का है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार से कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं की गई ना ही मौके की कोई जॉच की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट एक गरीब दिहाड़ी मजदूर है जो मजदूरी करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रूपये 3000/— जमा कराने के आदेश प्रदान किये गये है जो विधि विरूद्व आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकर की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 76/14 में बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए 3000/— रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से राशि दिलाने के आदेश पारित किये गये है। जोकि सर्वथा गलत आदेश है क्योंकि कब्जा नाजायज होना स्पष्ट है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जबकि प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति राशि 10000/—रूपये कायम किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे। प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा आदेश जैर अपील निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि पर राशि 3000/— प्रतिवर्ष जमा कराने की शर्त पर कब्जा अप्रार्थीगण के पास रखने के आदेश प्रदान किये है, अन्यथा तहसीलदार, सूरतगढ़ को रिविसर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपीलें खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में विवादित भूमि दीवनचन्द वैगरह की खातेदारी भूमि दर्ज है, परन्तु राजस्व नक्शें में की गई तरमीम तथा मौके की स्थिति में अन्तर का विवाद होने के कारण मालिकाना हकों का निर्णय परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद का विस्तृत सुनवाई के बाद होना है। सूरजभान वगैरह की हैसियत अतिक्रमी की है। अतिक्रमित रकबा सरकारी है या दीवानचन्द वगैरह की खातेदारी का है। इसका निर्णय भी वाद की सुनवाई के उपरान्त होना है। परीक्षण न्यायालय ने 3000/— रूपये प्रतिवर्ष केश सिक्यूरिटी पर सुरमाराम वगैरह को 696 मीटर भूमि का उपयोग करने की छूट दी है। जिस पर कब्जाधारक एवं संभावित खातेदार दोनों की औ से की गई आपत्तियॉ संधारणीय नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश जारी करने में कोई भूल नहीं की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 10—06—2010 बहाल रखे जाते है

8. निर्णय आज दिनांक 13—08—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर